समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

चतुर्दश बिहार विधान सभा का अष्टम् सत्र दिनांक 22 फरवरी, 2008 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 02 अप्रील, 2008 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल चौबीस बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने बिहार विधान-मंडल के सह-समवेत सदनों को सम्बोधित करते हुए अपना अभिभाषण किया । माननीय उप-मुख्य (वित्त) मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभा मेज पर रखा गया । सभा सचिव द्वारा राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत 9 विधेयकों का एक विवरण भी सभा पटल पर रखा गया। राज्य के कतिपय जननायकों के निधन पर शोक प्रकाश किया गया।

प्रभारी मंत्री वित्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक विवरणी एवं बिहार वित्त विधेयक, 2008 को सदन में उपस्थापित किया गया । उन्होंने आय-व्ययक विवरणी के सम्बन्ध में बजट भाषण किया एवं वित्त विधेयक, 2008 पर प्रकाश डाला ।

प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा (10) (3) के तहत भारत परिसीमन आयोग की अधिसूचना संख्या-282, दिनांक 17-08-2007 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति वर्ष 2008-09 के गठन के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को अधिकृत करने एवं इन समितियों के सहकारी सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए बिहार विधान परिषद् को अधिकृत करने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ । श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप-मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम के 46, 47 एवं 48 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये तथा प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्चा नियमावली, 2008 की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत नियंत्रक महालेखापरीक्षक को 31 मार्च, 2007 को अन्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल), राजस्व प्राप्ति तथा वाणिज्यिक एवं बिहार सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2006-2007, विनियोग लेखे वर्ष 2006-2007 की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा सदन में उपस्थापित वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए तृतीय अनुपूरक बजट एवं वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए बजट पर सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी ।

सत्र के दौरान उप-मुख्यमंत्री द्वारा 2007-2008 के बजट प्राक्कलन से सम्बन्धित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान के तृतीय तिमाही के परिणाम की प्रति तथा वित्तीय वर्ष 2008-2009 की जेन्डर बजट की प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) एवं जन वितरण प्रणाली, वित्त रहित शिक्षा नीति एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता देने के संबंध में सदन में वक्तव्य दिया गया।

राजकीय विधेयक यथा- (1) बिहार विनियोग विधेयक, 2008 (2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 (3) बिहार वित्त विधेयक, 2008 (4) बिहार राज्य मेला प्राधिकार विधेयक, 2008 (5) बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास विधेयक, 2008 (6) बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम विधेयक, 2008 (7) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार विधेयक, 2008 (8) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (9) बिहार राज्य विशवविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (10) बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र विधेयक, 2008 (11) बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2008 एवं (12) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2008 सभा द्वारा स्वीकृत हुए ।

इस सत्र में जनहित के विषय पर "राज्य में आम आवश्यकता की वस्तुओं की आसमान छू रही कीमत से उत्पन्न स्थिति" पर सदन में सार्थक एवं गंभीरता से चर्चा हुई ।

सत्र के दौरान कुल-139 गैर सरकारी संकल्प का प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 14 संकल्प स्वीकृत एवं 12 अमान्य हुए । सदन में 110 गैर सरकारी संकल्प के प्रस्ताव वापस लिये गये एवं 03 अस्वीकृत हुए ।

विभिन्न विभागों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों के प्रतिवेदन, बोर्ड एवं निगम तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ-साथ नियमावली की प्रति तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गये ।

सत्र के दौरान कुल-3724 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल-2489 प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें 75 अल्पसूचित प्रश्न, 2150 तारांकित प्रश्न तथा 264 अतारांकित प्रश्न थे। इन स्वीकृत प्रश्नों में से 297 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 539 प्रश्नोत्तर सदन पटल पर रखे गये तथा 63 प्रश्न अपृष्ठ एवं 1584 प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक मामले सदन में उठाये गये जिस पर सदन में माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये गये ।

इस सत्र में कुल- 512 निवेदन प्राप्त हुए उनमें से 159 स्वीकृत हुए एवं 353 अमान्य हुए । कुल-235 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 139 स्वीकृत एवं 96 अस्वीकृत हुयी । इस सत्र में कुल-379 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 46 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, जिसमें से 44 पर सरकार द्वारा सदन में वक्तव्य दिये गये । शेष 265 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु विभागों को भेजे गये एवं 68 अमान्य हुआ । कतिपय ध्यानाकर्षण सूचना, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपूर्द किये गये एवं जनहित से सम्बन्धित कतिपय प्रश्नों पर विशेष समिति गठित करने की घोषणा की गई ।

सत्र के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन में माननीय मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ, जिनका भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हुआ । सदन संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का यह साकारात्मक सहयोग भारतीय संसदीय इतिहास में एक उदाहरण के रूप में है जो जनतांत्रिक परम्परा को सुदृढ़ और मजबूत कर राज्य के प्रजातांत्रिक स्वरूप को और अधिक सफल बनाने में मददगार साबित होगा । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के रचनात्मक सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों/चिकित्कों एवं आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❁❁❁❁❁